

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक - ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/ दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	पे मेट्रिक्स लेवल
1	श्री दीपक कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक, जयपुर।	14 10 2009	09 वर्ष	14 10 2018	एल-6
2.	श्री कमल सिंह रावल, वरिष्ठ सहायक, जयपुर।	18 06 1992	27 वर्ष	18 06 2019	एल-11
3	श्रीमती भावना सिंह सिराोदिया, कनिष्ठ सहायक, जयपुर।	20 05.2010	09 वर्ष	20.05.2019	एल-6

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

दिनांक 19/08/19

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/18c)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अधीक्षक, सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम।
- 3 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तुंगा, बरसी, जयपुर।
- 4 संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 5 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 6 आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर